

प्रश्न सं. [क. 76]

परिशिष्ट 1

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 76 की जानकारी

// प्रश्न //

1. प्रश्न क्रमांक 76 (अतारांकित) 2. उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक :- 19/12/2024
3. विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग
- विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
- मान. श्री चन्दर सिंह सिसौदिया

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे व चौथे फेस में कितनी आबादी वाले किन्-किन् ग्रामों को सम्मिलित किया गया?	गरोठ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेस में मार्ग चौड़ीकरण अंतर्गत मार्ग (1) भानपुरा झालावाड़ रोड से भीमपुरा (राजस्थान सीमा) में ग्राम गोवर्धनपुरा (1249), नीमधुर (2060), सानडा (2496), दाबला माधोसिंह (4748), कैथुली (3796) तथा (2) मार्ग गरोठ भानपुरा रोड से सातलखेडा में ग्राम दुधाखेडी (1812), परोनिया (1624), सातलखेडी (1558) एवं (3) मार्ग दाबला मोहन खडावदा से मेलखेडा में ग्राम दाबला मोहन (914), चचावदा पठारी (2776), मोलाखेडी बुजुर्ग (601), डलमू (2120), गारियाखेडी (1099), देथली बुजुर्ग (2992), देथली खर्द (2004), बरखेडा गंगासा (3399), गुराडिया नरसिंह (1386), साठखेडा (3623), कुण्डलाखुर्द (990) एवं मेलखेडा (3868) को सम्मिलित किया गया है एवं चौथे फेस अंतर्गत 2011 की जनगणना में 500 से अधिक आबादी वाली बसाहटों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यालय से प्राप्त सूची अनुसार चौथे फेस में विधानसभा क्षेत्र गरोठ अंतर्गत कोई गाँव संपर्कता विहीन नहीं है।
(ख) कब तक उक्त सड़कों का कार्य प्रारंभ होगा?	वर्तमान में मुख्यालय से प्राप्त सूची अनुसार चौथे फेस अंतर्गत गरोठ विधानसभा क्षेत्र में कोई नवीन कार्य स्वीकृत नहीं है।
(ग) वर्तमान में निर्मित प्रधानमंत्री सड़कों में साइड सोल्डर नहीं बने हैं, व सड़क किनारे झाड़ियाँ आदि भी साफ नहीं की गई? क्या कारण है? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे?	वर्तमान में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गों का वर्षा उपरांत संधारण का कार्य प्रगतिरत है जिसे मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार वर्षा उपरांत संधारण कार्य 15 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
(घ) पूर्व से निर्मित सड़कों के रख-रखाव हेतु कोई कार्य स्वीकृत किए गए हैं, यदि नहीं तो क्या विभाग इन सड़कों का रख-रखाव करेगा यदि हाँ तो कब तक।	वर्तमान में पूर्व से निर्मित सड़कों में से 11 मार्गों के रख-रखाव के कार्यों की स्वीकृति प्रचलन में है एवं शेष कार्यों में नियुक्त संविदाकार द्वारा संधारण का कार्य किया जा रहा है।

विशेष कर्तव्यकारी अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

(के.सी. त्रिपाठी)
महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई-मंदसौर

Z:\AB-Office\Letter\1912\Technical - Tak\Widhansabha\2024\Widhansabha 76 Chandar Singh Sisodia.doc

विशेष कर्तव्यकारी अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल